

इस्लाम में क्षमाशीलता

■ लालाकाशी राम चावला

इस्लामी विश्वासों के अनुसार क्षमाशीलता भी ईश्वर के गुणों में से बहुत बड़ा गुण है। यदि यह न हो तो यह ब्रह्माण्ड एक क्षण के लिए भी स्थापित न रहे। पवित्र कुरआन में ईश्वर के जो विशेष नाम आये हैं उनमें—अफूवु, गुप्तिर, गुफ्फार और गुफूर भी हैं (इन सबके अर्थों में क्षमा सम्मिलित है)। पवित्र कुरआन में एक स्थान पर ईश्वर की गरिमा को प्रकट करते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया है—

“और वही है, जो अपने बन्दे की तौबा कबूल करता है और बुराइयों को क्षमा करता रहता है।”

(कुरआन, 42:25)

दयालु ईश्वर ने अपने पवित्र ग्रंथ में जगह-जगह अपने भक्तों को अपनी क्षमाशीलता और दयालुता का विश्वास दिलाया है। एक स्थान पर लिखा है—“और इसमें सन्देह नहीं कि जो तौबा करता है, इमान लाता है, सुकर्म करता है और सन्मार्ग पर स्थित रहता है, मैं उसको बहुत-बहुत क्षमा प्रदान करने वाला हूँ।”

(कुरआन, 20:82)

पवित्र कुरआन में ईश्वर ने 85 स्थानों पर अपने आपको क्षमा प्रदान करने वाला लिखा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह गुण ईश्वर को कितना प्रिय है और उसका दृष्टि में उसका कितना महत्व है। इससे हम समझ सकते हैं कि उस परमेश्वर की क्षमाशीलता का सागर किस ज़ोर-शोर से ठाठें मार रहा है और उसकी दयालुता का स्रोत किस जोश से प्रवाहित हो रहा है।

इस दुनिया में हम देखते हैं कि एक अच्छे पिता की इच्छा भी यही होती है और वह अपनी संतान को यही आदेश भी देता है कि वह अच्छे गुणों को अपने जीवन में साकार करे और उसके नक्शे कुदम पर चले।

सांसारिक पिता से कहाँ बढ़कर उस सर्वशक्तिमान अल्लाह को प्रसन्न करना आवश्यक है और विशेष रूप से ताकीद की गयी है कि उसके भक्त उन सभी अच्छे गुणों को ग्रहण करें जो अल्लाह को प्रिय हैं।

क्षमाशीलता के संबंध में पवित्र कुरआन में भक्तों को

यह आदेश दिया गया है—“यदि किसी के दोष को तुम क्षमा कर दो और टाल जाओ, तो निस्संदेह अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला और बड़ा दयावान है।” (कुरआन, 64:14)

एक और स्थान पर अल्लाह तआला फ़रमाता है—“जो बड़े-बड़े गुनाहों और अश्लील कर्मों से बचते हैं और जब (उनको किसी पर) क्रोध आता है तो वे उसे क्षमा कर देते हैं।” (कुरआन, 42:37)

शार्ति की स्थिति में अर्थात् साधारण दशा में किसी को क्षमा करना कठिन नहीं। परंतु क्रोध के समय मनुष्य एक प्रकार से पागल हो जाता है। उस समय मनुष्य अपने आपको काबू में नहीं रख सकता। क्रोध ही की स्थिति में बेटा बाप तक की, भाई भाई की, भाई बहन की, बेटा मां की, पति पत्नी की हत्या कर देता है। इस स्थिति में बुद्धि लुप्त हो जाती है। मनुष्य अच्छे-बुरे को नहीं सौच सकता। किंतु ईश्वर अपने अच्छे बन्दों से इस दशा में भी आशा रखता है कि वे अपने दोषियों को क्षमा कर दें और इस क्षमाशीलता की शिक्षा इस प्रलोभन के साथ दी है कि मनुष्य उसी दशा में अपने पापों और दोषों की क्षमा की आशा अपने पालनकर्ता अल्लाह से कर सकता है जबकि वह स्वयं क्षमा करने वाला हो।

कुरआन की शिक्षा कितनी शानदार है! इसका सारांश यह है कि जो मनुष्य दूसरे के दोष को क्षमा कर सकता है, वह स्वयं किसी दोष का दोषी प्रायः कम ही होगा। जो अपनी मनोकामनाओं को इतना वशीभूत कर चुका हो कि वह किसी को क्रोधावस्था में भी क्षमा कर सकता हो तो उसका मन उसे पाप-मार्ग पर ले जाने में कभी सफल नहीं हो सकता। पवित्र कुरआन का यह आदेश तो व्यक्तिगत व्यवहारों में क्षमा करने के संबंध में है। अब आगे देखिये धार्मिक विभेदों के बारे में जो शानदार आदेश पवित्र कुरआन में है, वह प्रत्येक मनुष्य के लिए अपने-अपने गले में लिखकर लटकाने योग्य है। और मैं तो कहूँगा कि जो भी इस उच्च आदेश का पालन करेगा, वही मनुष्य है और वही मुसलमान है, क्योंकि सच्चा इन्सान ही सच्चा मुसलमान है।

और सच्चा मुसलमान ही सच्चा इन्सान है ।

पवित्र कुरआन का वह आदेश इस तरह है—“और यदि तुम उनको सन्मार्ग की ओर बुलाओ और वे तुम्हारी एक न सुनें और देखने में वे तुमको ऐसे दिखायी देते हों कि मानो वे तुम्हारी ओर ध्यान दे रहे हैं (हालांकि ध्यान अन्य ओर हो, तो ऐसे सन्देष्टा ! ऐसी परिस्थिति में) क्षमा से काम लो और लोगों से सुकर्म के लिए कहो और जाहिलों से न उलझो ।”

(कुरआन, 7:198-199)

महान है अल्लाह ! इस आयत से धार्मिक उदारता का स्रोत प्रवाहित हो रहा है । लेकिन क्या हम इस पवित्र आदेश पर विश्वास रखते हैं ? नहीं ! हम तो बात-बात पर क्रोधित हो जाते हैं ।

ऐ मेरे भाई ! ईश्वर ने केवल उदारता दिखाने और क्षमाशीलता की शिक्षा ही नहीं दी है, बल्कि इस्लाम के सच्चे अनुयायी को इससे भी आगे बढ़ने और अधिक नम्रता, सहनशीलता और उच्च आदर्शिता से काम लेने का आदेश दिया है ।

पवित्र कुरआन में अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के द्वारा मुसलमानों ही को नहीं, मानव मात्र को क्या आदेश दिया है—“यदि कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो बुराई को ऐसे व्यवहार से मिटाओ जो बहुत ही अच्छा हो । (ऐ पैगम्बर !) जो कुछ वे तुम्हारे बारे में कहते हैं, वह हम को भली-भाँति मालूम है ।” (कुरआन, 23:96)

महान है अल्लाह ! कितनी पवित्र और कितनी उत्तम शिक्षा है यह । प्रायः गैर-मुस्लिम भाई, बल्कि मुस्लिम भाई भी यह समझते हैं कि इस्लाम में बुराई के बदले भलाई करने का कहीं आदेश नहीं । वे भाई इस आयत को आँखें खोलकर देखें और अपनी अज्ञानता को दूर करें ।

ऐ मेरे भाई ! मैं अभी आपको इससे थोड़ा और आगे ले चलूँगा । शायद किसी को ख़याल हो कि व्यक्तिगत दुर्व्यवहार या कष्ट सहा जा सकता है, किंतु यदि धर्म पर आक्रमण हो तो उसे सहन नहीं किया जा सकता, तो मैं ऐसे भाइयों की इस धार्मिक भावना पर कुरबान जाऊँ । किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि किसी धर्म के अनुयायी के लिए उसी धर्म के आदेशों के विरुद्ध काम करना कहां तक धर्म का पालन या धर्म का सम्मान कहा जा सकता है ? ऐसी दशा में भी हमें इस्लाम क्या आदेश देता है—

“ऐ मुसलमानो ! अधिकांश गैर-मुस्लिम इसके बावजूद कि उन पर सत्य धर्म प्रकट हो चुका है, फिर भी अपनी हार्दिक ईर्ष्या के कारण चाहते हैं कि तुम्हारे ‘ईमान’ लाने के बाद तुमको फिर ‘काफिर’ (इन्कारी) बना दें, तो उन्हें क्षमा करो और उन्हें छोड़े रखो, यहां तक कि ईश्वर फिर अपना निर्णय भेजे ।” (कुरआन)

वाह, वाह ! इस आयत की क्या शान है ! इससे प्रकट होता है कि यदि कोई मनुष्य किसी मुसलमान को ईमान से डिगाने की कुत्सित चेष्टा करे अर्थात् ऐसा कठोर अपराध करे तो ऐसे अपराधी को भी क्षमा कर देने का आदेश है । इससे अधिक इस्लाम की उदारता और उच्च आदर्शिता का क्या प्रमाण हो सकता है ?

आज बहुत से गैर-मुस्लिमों के मन में यह भ्रम जड़ पकड़ चुका है कि कुरआन में गैर-मुस्लिमों को क़त्ल करने और हर उचित-अनुचित ढंग से उनके माल व जायदाद को हथिया लेने के अतिरिक्त और कोई बात ही नहीं लिखी है ।

ऐ मेरे मुस्लिम और गैर-मुस्लिम भाइयो ! ईश्वर के लिए इस्लाम को बदनाम न करो । कुछ अज्ञानी मनुष्यों की अज्ञानता के कारण इस पवित्र धर्म पर यह दोष मत लगाओ । इस धर्म की शिक्षा तो वह है जो ऊपर लिखी गयी है । ईश्वर ने किसी के अपराध को क्षमा कर देने को बड़े साहस का कार्य बताया है, न कि भीरुता या साहसहीनता का । अल्लाह कुरआन में फ़रमाता है—

“और जो व्यक्ति धैर्य एवं संतोष से काम ले और दूसरे के दोष को क्षमा कर दे तो निस्पंदेह यह बड़े साहस का काम है ।” (कुरआन, 42:43)

एक और स्थान पर न केवल क्षमा करने का आदेश है, बल्कि उसे खुले और छिपे तौर पर भलाई करने के समान ठहराया गया है ।

“भलाई खुले रूप से करो या छिपाकर करो या किसी की बुराई करने के पश्चात उसे क्षमा कर दो (तो यह नेकी करना है) । ईश्वर सर्वशक्तिमान होते हुए भी अति क्षमाशील है ।” (कुरआन, 4:149)

यही नहीं कि क्षमा करने को एक सुकर्म ठहराया है, बल्कि अत्याचार करने को महापाप बताया है और फ़रमाया है कि ईश्वर अत्याचारी की ओर से अपना मुख फेर लेता है । देखिये—“और ईश्वर अत्याचारियों को सन्मार्ग नहीं दिखाता ।” (कुरआन, 9:24)